



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58228

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 3321/2026

राज बहादुर गौतम

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे के होलिंग ब्रीफ श्री प्रज्वल वर्मा (ए/पी 2239/2025) की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पीयूष शुक्ला को सुना।
2. इस न्यायालय ने 11.03.2026 को रिट याचिका पर विचार किया और निर्देश मांगा।
3. आज निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, लखनऊ के हस्ताक्षर से अनुदेश प्रस्तुत किए गए हैं। श्री पीयूष शुक्ला, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और वह इस प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं। पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से फैसला किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 2001 में जिला बदायूं में ग्रामीण विकास विभाग में 05.12.1987 को कनिष्ठ लेखा क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था, उन्हें लेखा क्लर्क के पद पर पदोन्नति दी गई थी, जिसे सहायक लेखाकार के रूप में फिर से नामित किया गया था। हालांकि, जिला विकास अधिकारी, बदायूं द्वारा पारित दिनांक 18.08.2012 के एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था और रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, यह 2012 की रिट-ए संख्या 43424 में चुनौती का विषय था, जिसमें 08.12.2012 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे।

"याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे और प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका दिनांक 18.8.2012 के निलंबन आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू की गई थी और पूरी हो गई है, इसके बाद, याचिकाकर्ता को विकास खंड, बसौली, जिला-बदायूं के कार्यालय में काम करने वाले सहायक लेखाकार के पद पर बहाल कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उन्हें निलंबन अवधि के दौरान शेष वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा और लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 29.7.2022 के पत्र के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान शेष वेतन वर्तमान रिट याचिका के बाद दिया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा और लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर निलंबन अवधि के दौरान शेष वेतन का भुगतान करने के निर्देश के साथ किया जाता है।"

5. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने दिनांक 07.11.2014 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 को अधिसूचित किया गया, जिसमें निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा की अध्यक्षता में राज्य के सभी विभागों के लिए सामान्य खाता संवर्ग का गठन किया गया। रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 17.08.2020 को एक आरोप पत्र जारी किया गया, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने जवाब दिया और उसके बाद, 23.01.2021 को जांच अधिकारी द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे रिट याचिकाकर्ता को दिया गया और उसके बाद, 29.07.2022 को, निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया। लखनऊ ने जांच रिपोर्ट के साथ सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को बंद कर दिया और 2012 की प्राथमिकी संख्या 749 के प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिणाम और लंबित रिट याचिका के परिणाम, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 2012 की रिट ए संख्या 43424

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के आधार पर वेतन के साथ अस्थायी आधार पर रिट याचिकाकर्ता को बहाल किया, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 2012 की रिट-ए संख्या 43424 का निपटारा 08.12.2022 को किया गया।

6. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि आपराधिक प्रकरण के लंबित होने के कारण, रिट याचिकाकर्ता को अब उन लाभों का भुगतान किया गया है जो हैं (ए) 20.12.2012 से याचिकाकर्ता को वार्षिक वेतन वृद्धि की मंजूरी नहीं (बी) ऐसे व्यक्तिगत लाभों के लिए सेवा की अवधि पूरी होने की तारीख से प्रभावी एसीपी योजना के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता को स्वीकार्य सेवा लाभों की मंजूरी न देना (सी) पदोन्नति का अनुदान न देना रिट याचिकाकर्ता और उस अवधि के लिए ब्याज के साथ वेतन का भुगतान जब रिट याचिकाकर्ता निलंबन के अधीन था। इस न्यायालय ने 11.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े।

"रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि हालांकि रिट याचिकाकर्ता को 18.08.2012 को निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद निलंबन आदेश पर रोक लगा दी गई और अंततः उसे सेवा में बहाल कर दिया गया और 2012 की रिट-ए संख्या 43424 का 08.12.2022 को निस्तारण किया गया, लेकिन रिट याचिकाकर्ता को इस आधार पर लाभ नहीं दिया गया है कि 2012 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 749 पहले से ही लंबित है।

श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।

इस प्रकरण को 20.03.2026 को नए सिरे से पेश करें।"

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि एक बार विभागीय कार्यवाही बंद हो गई और रिट याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया, तो केवल इसलिए कि प्राथमिकी के अनुसरण में आपराधिक कार्यवाही लंबित है, लाभ से इनकार करने के लिए प्रासंगिक नहीं होगा, खासकर जब 2012 के आपराधिक प्रकरण संख्या 749 में आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत करने के खिलाफ एक आवेदन सीआरपीसी की धारा 482 को रिट याचिकाकर्ता द्वारा 2018 की आवेदन संख्या 46502 के रूप में प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें एक अंतरिम आदेश चल रहा है, इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार 29.05.1997 के सरकारी आदेश के मद्देनजर रिट याचिकाकर्ता की कोई गलती के बिना आपराधिक प्रकरण का केवल लंबित होना है, रिट याचिकाकर्ता की पदोन्नति की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और उसके अनुसार, उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन के भुगतान से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है जब रिट याचिकाकर्ता को बहाली के बाद निलंबन के तहत रखा गया था और एसीपी आदि के लाभ भी थे।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित श्री पीयूष शुक्ला का निवेदन है कि शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के खंड-10 के आलोक में, लंबित आपराधिक वाद के दौरान याचिकाकर्ता ए.सी.पी. के लाभ का अधिकारी नहीं है। तथापि, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता के दावे का परीक्षण प्रथम दृष्टया द्वितीय प्रतिवादी, निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

9. उक्त प्रस्तुतीकरण को रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा शालीनता से स्वीकार कर लिया गया है।

10. बार में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को दूसरे प्रत्यर्थी से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, जो 2012 से अब तक वार्षिक वेतन वृद्धि की मंजूरी से संबंधित तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा, जो पदोन्नति और वेतन के भुगतान के लिए एसीपी योजना के तहत स्वीकार्य लाभों को मंजूरी देगा। वह अवधि जब रिट याचिकाकर्ता को बहाली तक निलंबित कर दिया गया था।

11. आज दायर किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 मार्च, 2026

राजेश